



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122022-241134
CG-DL-E-16122022-241134

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5640]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2022/अग्रहायण 24, 1944

No. 5640]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2022/AGRAHAYANA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5876(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट गोलपाड़ा (NH17) के कि.मी 96.87 से 99असम राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH17 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अतिरिक्त उपायुक्त (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH17	असम	गोआलपाड़ा	मटिआ	1 कृष्णाई राजा टाउन

		के कि.मी. 96.87 से 99 तक			
--	--	--------------------------------	--	--	--

[फा. सं. NHIDCL/PMU-BNGN/B-G/PKG-08/LA/2022-23]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th December, 2022

S.O. 5876(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 96.87 to 99 of Goalpara (NH17) in the State of ASSAM for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ASSAM.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH17 in the State of ASSAM.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional Deputy Commissioner)	96.87KM To 99KM	ASSAM	GOALPARA	Matia	1 Krishnai Rajah Town

[F. No. NHIDCL/PMU-BNGN/B-G/PKG-08/LA/2022-23]

RAJESH GUPTA, Director